भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 370

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान

370. श्रीमती संजना जाटवः

श्रीमती रुचि वीराः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत नुकसान की गणना खरीद लागत के केवल 25 प्रतिशत तक सीमित है और वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर हुए वास्तविक शुद्ध नुकसान पर आधारित नहीं है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान किसानों के संरक्षण संबंधी बुनियादी उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना में संशोधन करने का है ताकि नुकसान की गणना वास्तविक शुद्ध हानि के आधार पर की जा सके, न कि केवल खरीद लागत पर और संकट ग्रस्त किसानों को वास्तविक राहत मिले और उन्हें अपनी उपज को औनो-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार, शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत कवर न होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए पीएम-आशा के तहत एक घटक 'बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)' को कार्यान्वित करती है। इसका उद्देश्य किसानों को मजबूरन बिक्री से बचाना है, विशेषकर तब जब अधिक उत्पादन के दौरान मंडियों में भारी आवक (बंपर फसल) होती है और कीमते आर्थिक स्तर तथा उत्पादन लागत से नीचे गिरने लगती हैं। पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाज़ार मूल्यों में कम कम-से-10% की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्यकेंद्र शासित प्रदेश सरकार / के अनुरोध परकार्यान्वित की जाती है, जो इसके क्रियान्वयन में होने वाले किसी भी नुकसान का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार रहती है। किसी विशेष फसल और विशेष सीजन के लिए राज्य के अनुमानित उत्पादन की अधिकतम 25% मात्रा की ही खरीद की अनुमति दी जाती है। कुल नुकसान की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 अनुपात में बाँटी जाती है (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) जो कुल क्रय मूल्य के 25% तक सीमित होती है और इसमें खरीदी गई वस्तु की लागत और अनुमत अधिभार व्यय शामिल होते हैं।

सरकार ने इस योजना में दो बार संशोधन किया है। भावांतर भुगतान (पीडीपी) का नया घटक जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत एपीएमसी मंडियों में बेची जाने वाली फसलों के लिए बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों को देने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज़ और आलू) के परिवहन और भंडारण लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को दी जाती है, ताकि इन्हें उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक पहुँचाया और संगृहीत किया जा सके।

*****